

न्यायालय :- पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड

(आप.प्रक.क. :- 407 / 2014)

(संस्थित दिनांक :- 19 / 05 / 14)

म.प्र.राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र :- गोहद चौराहा

जिला-भिण्ड., म.प्र.

..... अभियोजन।

/// विरुद्ध ///

01. सुनील अर्गल पुत्र अशोक अर्गल, उम्र 22 वर्ष,  
निवासी :- ग्राम चिनकूपुरा, थाना :- गोहद चौराहा, जिला-भिण्ड (म.प्र.)  
..... अभियुक्त।

/// निर्णय ///

( आज दिनांक :- 13 / 04 / 2017 को घोषित )

01. आरोपी सुनील अर्गल पर धारा :- 25 ((1-B)(b)) आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप है कि उसने दिनांक :- 17 / 05 / 2014 को शाम लगभग 05:20 बजे कनीपुरा तिराहा सार्वजनिक मार्ग पर, आयुध अधिनियम की धारा 04 के तहत म.प्र.राज्य की अधिसूचना क्रमांक 6312-6552-।।बी (I) दिनांक : 22 / 11 / 1974 के उल्लंघन में एक निषेधित आकार का लोहे का धारदार चाकू बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में रखा।

02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 17 / 05 / 2014 को थाना गोहद चौराहा के थाना प्रभारी गिरीश कुमार कवरेती, मयफोर्स प्रधान आरक्षक किशनलाल, आरक्षक क्रमांक 171 उदय सिंह, आरक्षक 646 मूलचन्द्र, आरक्षक गुलाब सिंह के साथ प्राइवेट वाहन से रोजनामचा सान्हा क्रमांक 601, दिनांक : 17 / 05 / 2014 में रवानगी प्रविष्ट कर कस्बा गश्त हेतु रवाना हुआ था। इलाका गश्त के दौरान स्टेशन रोड़ तेहरा पर पहुँचा, तभी मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति चैक की शर्ट एवं पेंट पहने चाकू लिये खड़ा है। सूचना की तश्दीक हेतु मुखबिर के बताये स्थान पर पहुँचा, तो पुलिस को देखकर उक्त व्यक्ति भागने का प्रयास करने लगा, जिसे फोर्स की मदद से घेरकर पकड़ा। आरोपी से उसका नाम एवं पता पूछने पर उसने अपना नाम सुनील पुत्र अशोक अर्गल उम्र 20 वर्ष, निवासी-ग्राम चिकनूपुरा, थाना-गोहद चौराहा का होना बताया। संदेह होने पर उक्त व्यक्ति की जामा तलाशी लेने पर कमर में बाईं तरफ पेंट के भीतर चाकू खुसरे मिला। आरोपी से उक्त आयुध रखने वावत् लाईसेंस चाहे जाने पर, उसने ना होना व्यक्त किया। आरोपी के कब्जे से अवैध चाकू साक्षीगण के समक्ष जब्त कर जब्ती पत्रक बनाया गया तथा आरोपी सुनील

को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। तत्पश्चात् मय माल-मुल्जिम थाना वापस आकर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 135/2014 अन्तर्गत धारा 25 बी आयुध अधिनियम पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। प्रकरण की विवेचना के दौरान आरक्षक मूलचन्द्र एवं गुलाब के कथन लेखबद्ध किये गये। तत्पश्चात् विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04. अभियुक्त सुनील के विरुद्ध धारा 25 ((1-B)(b)) आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दंडनीय अपराध का आरोप निर्मित कर पढकर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। उसका अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है:-

01. क्या आरोपी सुनील ने दिनांक :- 17/05/2014 को शाम लगभग 05:20 बजे कनीपुरा तिराहा सार्वजनिक मार्ग पर, आयुध अधिनियम की धारा 04 के तहत म.प्र.राज्य की अधिसूचना क्रमांक 6312-6552-।। बी (I) दिनांक : 22/11/1974 के उल्लंघन में एक निषेधित आकार का लोहे का धारदार चाकू बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में रखा?

02. अंतिम निष्कर्ष?

### सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष

#### विचारणीय बिन्दु क्रमांक :- 01

07. अभियोजन साक्षी गिरीश कवरेती अ.सा.04 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 17/05/2014 को थाना गोहद चौराहा में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को वह हमराह फोर्स प्रधान आरक्षक किशनलाल, आरक्षक क्रमांक 171 उदय सिंह, आरक्षक 646 मूलचन्द्र, आरक्षक गुलाब सिंह के साथ प्राइवेट वाहन से कस्बा गश्त हेतु रवाना हुआ था। साक्षी आगे कहता है कि इलाका गश्त के दौरान स्टेशन रोड़ तेहरा तरफ से मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति चैक की शर्ट एवं मैला पेंट पहने चाकू लिये खड़ा है। सूचना की तश्दीक हेतु मुखबिर के बताये स्थान पर पहुँचा, तो पुलिस को देखकर उक्त व्यक्ति भागने का प्रयास करने लगा, जिसे फोर्स की मदद से घेरकर पकड़ा। साक्षी आगे कहता है कि आरोपी से

उसका नाम एवं पता पूछने पर उसने अपना नाम सुनील पुत्र अशोक अर्गल उम्र 20 वर्ष, निवासी—ग्राम चिकनूपुरा, थाना—गोहद चौराहा का होना बताया। उक्त व्यक्ति की जामा तलाशी लेने पर कमर में बाईं तरफ पेंट के भीतर चाकू खुसरे मिला। आरोपी से उक्त आयुध रखने वावत् लाईसेंस चाहे जाने पर, उसने ना होना व्यक्त किया। तत्पश्चात् उसके द्वारा आरोपी से साक्षीगण के समक्ष मौके पर चाकू जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी. 01 बनाया, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् उसके द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.02 बनाया, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि तत्पश्चात् मय माल आरोपी को थाना वापस लाया था, जहाँ पर उसके द्वारा रोजनामचा सान्हा क्रमांक 603 पर वापसी इन्द्राज की गई थी, वापसी की प्रति प्र.पी.04 है। उसके द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 135/2014 अन्तर्गत धारा 25 बी आयुध अधिनियम में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई थी, जो प्र.पी. 03 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

08. प्रति—परीक्षण के पद क्रमांक 03 में गिरीश कवरेती अ.सा.04 का कहना है कि वह लोग घटनास्थल पर शासकीय वाहन से गये थे, जबकि मुख्य परीक्षण में इसी साक्षी का कहना है कि वह प्राइवेट वाहन से कस्बा गश्त हेतु रवाना हुये थे। इसी प्रकार साक्षी गुलाब सिंह अ.सा.01 एवं मूलचन्द्र अ.सा.03 का उनके प्रति—परीक्षण के पद क्रमांक 02 में कहना है कि वह लोग प्राइवेट वाहन से गश्त के लिए गये थे। इस प्रकार घटना के समय पुलिस बल शासकीय वाहन से गश्त के लिए गया हुआ था, अथवा प्राइवेट वाहन से, इस वावत् गिरीश कवरेती अ.सा.04, गुलाब सिंह अ.सा.01 एवं मूलचन्द्र अ.सा.03 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य गंभीर विरोधाभास है, जो कि पुलिस बल के घटनास्थल के तरफ रवाना होने के तथ्य को संदेहास्पद बनाता है।

09. जब्तीकर्ता गिरीश कवरेती अ.सा.04 अथवा जब्ती एवं गिरफ्तारी के साक्षी मूलचन्द्र अ.सा.03 ने उनके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहीं पर भी यह दर्शित नहीं किया कि आरोपी से जब्तशुदा आयुध को सीलबंद किया गया था, अथवा नहीं। जब्ती पत्रक प्र.पी. 01 में जब्तशुदा आयुध को सीलबंद किये जाने के तथ्य का कोई उल्लेख नहीं है, ना ही जब्ती पत्रक प्र.पी.01 पर कॉलम नम्बर 13 में कोई सीलनमूना अंकित किया गया। उल्लेखनीय यह भी है कि जब्तीकर्ता गिरीश कवरेती अ.सा.04 अथवा जब्ती एवं गिरफ्तारी के साक्षी गुलाब सिंह अ.सा.01 ने उनके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहीं पर भी यह दर्शित नहीं किया कि वह दिनांक : 17/05/2014 को कितने बजे थाने से निकलकर कितने बजे घटनास्थल पर पहुँच गये थे। यह तथ्य आरोपित घटना के समय उक्त साक्षीगण के घटनास्थल पर उपस्थित होने के तथ्य को संदेहास्पद बनाता है।

10. अभियोजन साक्षी मूलचन्द्र अ.सा.03 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 17/05/2014 को थाना गोहद चौराहा में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को वह थाना प्रभारी गिरीश कवरेती, प्रधान आरक्षक किशनलाल एवं आरक्षक उदय एवं गुलाब सिंह के साथ प्राइवेट वाहन से कस्बा गश्त हेतु स्टेशन रोड

तिराहा की ओर गये थे। साक्षी आगे कहता है कि तभी थाना प्रभारी को मुखबिर की सूचना मिली कि एक व्यक्ति कनीपुरा तिराहा पर चाकू लिये खड़ा है। उक्त सूचना की तशदीक हेतु वह थाना प्रभारी के साथ मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर पहुँचा, तो पुलिस को देखकर एक व्यक्ति भागने का प्रयास करने लगा, जिसे फोर्स की मदद से घेरकर पकड़ा। साक्षी आगे कहता है कि आरोपी से उसका नाम एवं पता पूछने पर उसने अपना नाम सुनील पुत्र अशोक अर्गल, निवासी :- ग्राम चिकनूपुरा, का होना बताया। साक्षी आगे कहता है कि थाना प्रभारी गिरीश कवरेती द्वारा आरोपी की जामा तलाशी लेने पर उसकी कमर में बाईं तरफ पेंट में एक चाकू खुरसे मिला। आरोपी से उक्त आयुध रखने वावत् लाईसेंस चाहे जाने पर, उसने ना होना व्यक्त किया। साक्षी आगे कहता है कि थाना प्रभारी द्वारा मौके पर आरोपी से चाकू जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.01 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.02 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि तत्पश्चात् दरोगा जी मय माल आरोपी को थाना लाये थे, पुलिस ने इस संबंध में उससे पूछताछ की थी।

11. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में मूलचन्द्र अ.सा.03 का कहना है कि उसे पाँच बजे सूचना मिली, साक्षी ने फिर कहा कि दरोगा जी को सूचना मिली और घटनास्थल पर हम लोग साढ़े पाँच बजे पहुँच गये थे। उल्लेखनीय है कि अभियोजन कथा के अनुसार जब्ती की कार्यवाही 05:20 बजे की गई है, ऐसी दशा में जबकि पुलिसबल घटनास्थल पर 05:30 बजे पहुँचा हो तब जब्ती की कार्यवाही 10 मिनट पूर्व 05:20 बजे किया जाना किसी भी रूप में संभव नहीं है। इस प्रकार मूलचन्द्र अ.सा.03 द्वारा दर्शित उक्त तथ्य अभियोजन कथा को गंभीर रूप से संदेहास्पद बनाता है।

12. मूलचन्द्र अ.सा.03 ने प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि जिस चाकू को आरोपी से जब्त किया गया था, उसका छायाचित्र नहीं बनाया गया था। जब्ती पत्रक प्र.पी.01 के अवलोकन से भी यह दर्शित होता है कि उस पर जब्तशुदा चाकू का कोई चित्र या अक्श नहीं बना हुआ है।

13. तर्क के दौरान आरोपी अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया कि गिरफ्तारी पत्रक प्र. पी.02 पर अपराध क्रमांक 135/2014 अंकित है, जिससे यह दर्शित होता है कि उक्त गिरफ्तारी पत्रक मौके पर तैयार ना किया जाकर थाने पर बैठकर तैयार किया गया है। गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.02 का अवलोकन किया गया, जिसके अवलोकन से यह दर्शित होता है कि उस पर अपराध क्रमांक 0/14 एवं 135/2014 दोनों अंकित हैं। घटनास्थल पर गिरफ्तारी पत्रक बनाये जाने की दशा में अपराध क्रमांक जीरों पर ही अंकित किया जाता है, क्योंकि उस समय थाने पर चल रहा वास्तविक अपराध क्रमांक जानना संभव नहीं होता है। तब ऐसी दशा में गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.02 पर हस्तगत प्रकरण का अपराध क्रमांक 135/2014 किस प्रकार अंकित किया गया है, यह अभियोजन साक्ष्य से स्पष्ट नहीं है और यह तथ्य आरोपित घटनास्थल पर आरोपी की गिरफ्तारी के संबंध में

अभियोजन कथा की सत्यता को संदेहास्पद बनाता है।

14. इस प्रकार उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी सुनील ने दिनांक :- 17/05/2014 को शाम लगभग 05:20 बजे कनीपुरा तिराहा सार्वजनिक मार्ग पर, आयुध अधिनियम की धारा 04 के तहत म.प्र.राज्य की अधिसूचना क्रमांक 6312-6552-।। बी (I) दिनांक : 22/11/1974 के उल्लंघन में एक निषेधित आकार का लोहे का धारदार छुरा बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में रखा।

### अंतिम निष्कर्ष

15. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन आरोपी सुनील के विरुद्ध धारा 25 ((1-B)(b)) आयुध अधिनियम के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपी सुनील को आयुध अधिनियम की धारा 25 ((1-B)(b)) के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

16. आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

17. आरोपी द्वारा अन्वेषण या विचारण के दौरान अभिरक्षा में रह कर गुजारी गई, अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।  
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया

**(पंकज शर्मा)**

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

**(पंकज शर्मा)**

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद